

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2022—भाद्र 25, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2022

अधि. क्र. एफ-04-88-2021-अठारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक”
(नियम 5 देखिए)

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	आयुक्त	01	प्रथम श्रेणी	144200-218200
2	अपर आयुक्त	03	प्रथम श्रेणी	67700-208700 78800-209200 123100-215900
3	अपर संचालक	02	प्रथम श्रेणी	123100-215900
4	संयुक्त संचालक	05	प्रथम श्रेणी	79900-211700
5	उप संचालक	07	प्रथम श्रेणी	67300-206900
6	सहायक संचालक	08	द्वितीय श्रेणी	56100-177500

अनुसूची-दो

{नियम 6 (2) तथा (3) देखिए}

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भर्ती का तरीका			पदस्थापना
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1) नगरीय विकास एवं आवास विभाग	(2) मध्यप्रदेश नगर प्रशासन (राजपत्रित) सेवा	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. आयुक्त	01	—	—	सामान्य प्रशासन विभाग से भा.प्र.से. संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा।	संचालनालय — 01
		2. अपर आयुक्त	03	—	—	सामान्य प्रशासन विभाग से भा.प्र.से. संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा।	संचालनालय — 03
		3. अपर संचालक	02	—	100 प्रतिशत	सामान्य प्रशासन विभाग से रा.प्र.से. संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा।	संचालनालय — 02
		4. संयुक्त संचालक	05	—	100 प्रतिशत	सामान्य प्रशासन विभाग से रा.प्र.से. संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा।	संचालनालय — 02 संभागीय कार्यालय — 03
		5. उप संचालक	07	—	100 प्रतिशत	सामान्य प्रशासन विभाग से रा.प्र.से. संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा।	संचालनालय — 05 संभागीय कार्यालय — 02
		6. सहायक संचालक	08	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	संचालनालय — 03 संभागीय कार्यालय — 05

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित की गई शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सहायक संचालक	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	1. संयुक्त संचालक	अपर संचालक	1. म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य - अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास - सदस्य।
	2. उप संचालक	संयुक्त संचालक	
	3. सहायक संचालक	उप संचालक	
	4. अधीक्षक	सहायक संचालक	

No. F-04-88/2021-18-1- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Urban Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, namely :-

Amendment

In the said rules:-

1. For Schedule I, II III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I (see Rule 5)

S.No	Name of Post included in Service	Number of Post	Class	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Commissioner	01	Class First	144200-218200
2	Additional Commissioner	03	Class First	67700-208700 78800-209200 123100-215900
3	Additional Director	02	Class First	123100-215900
4	Joint Director	05	Class First	79900-211700
5	Deputy Director	07	Class First	67300-206900
6	Assistant Director	08	Class Second	56100-177500

SCHEDULE-II
 {(see Rule 6 (2) & (3))}

Name of Department	Name of Service	Name of Post	Total No. of Post	Method of Recruitment			Posting
				By Direct Recruitment	By Promotion of the members of the Service	By transfer of persons from other Services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urban Development and Housing Department	Madhya Pradesh Urban Administration (Gazetted) Service	Commissioner	01	-	-	By transfer from General Administration Department from IAS Cadre	Directorate - 01
		Additional Commissioner	03	-	-	By transfer from General Administration Department from IAS Cadre	Directorate - 03
		Additional Director	02	-	100 Percent	by transfer from General Administration Department from SAS Cadre	Directorate - 02
		Joint Director	05	-	100 Percent	by transfer from General Administration Department from SAS Cadre	Directorate - 02 Divisional Office - 03
		Deputy Director	07	-	100 Percent	by transfer from General Administration Department from SAS Cadre	Directorate - 05 Divisional Office - 02
		Assistant Director	08	75 Percent	25 Percent	-	Directorate - 03 Divisional Office - 05

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of Department	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urban Development and Housing Department	Assistant Director	21	40	Graduate from Recognized University

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of Department	Name of Post from which promotion to be made	Name of Post on which promotion is to be made	Name of member of Departmental Promotion Committee
(1)	(3)	(4)	(5)
Urban Development and Housing Department	1. Joint Director	Additional Director	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him - Chairman 2. Principal Secretary, Urban Development and Housing Department- Member 3. Commissioner, Urban Administration and Development- Member
	2. Deputy Director	Joint Director	
	4. Assistant Director	Deputy Director	
	4. Superintendent	Assistant Director	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.